

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

शुद्धि-पत्र

विभागीय अधिसूचना संख्या-4035, दिनांक 24.05.2013 में "मातृत्व अवकाश" के स्थान पर "शिशु देखभाल अवकाश" अंकित हो गया है।

अतएव उक्त अधिसूचना में अंकित "शिशु देखभाल अवकाश" के स्थान पर "मातृत्व अवकाश" शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाय।

अधिसूचना की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

ज्ञापांक-1/एल1-10-16/2009 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जून, 2013
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-16/2009 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जून, 2013
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-16/2009 गृ0आ0 4471 /पटना, दिनांक 10 - जून, 2013
प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्रीमती एस0 प्रेमलथा, भा0पु0से0 (2006) समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-01, पटना/समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-14, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।